पीठासीन अधिकारी – श्री रामचन्द्र मीना
(आर.ए.एस.)

प्र0सं0 – 84/2016 उनवान

1 भुरा पिता नन्दा कुमावत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 गणेश पिता नन्दा कुमावत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
2 मुला पिता नन्दा कुमावत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
3 पोखर पिता नन्दा कुमावत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
4 लाडु पिता घीसा कुमावत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
5 भंवर पिता बालु कुमावत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
6 जगरूप पिता सुखा कुमावत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
7 मोहनी पत्नि जगदीश कुमावत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
8 लादुलाल पिता छगन लाल महाजन निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
9 कासीराम पिता सुरजमल कुमावत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
10 बडोदा राजस्थान ग्रामीण बेंक शाखा माण्डल चौराहा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
11 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा, जिला भीलवाडा

.. विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी, वकील प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक 12.11.2016

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि **प्रार्थी** ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रूपाहेलीखुर्द, पटवार मण्डल **रूपाहेलीखुर्द** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में **प्रार्थी** खातेदारी की भूमि खाता संख्या 216 के आराजी संख्या **81/11, 89, 963/1, 964/1, 965, 966/1, 967/4, 967/8, 969/1, 2243/483 कुल किता 11 कुल रकबा 12–14 बीघा** दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। **प्रार्थी** ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः **प्रार्थी** की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। इसी दौरान प्रार्थनापत्र इस न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा मे दिनांक 12.11.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए गए। प्रार्थी पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। **प्रार्थी** उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थनापत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रूपाहेलीखुर्द, पटवार मण्डल रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 216 के आराजी संख्या **81/11, 89, 963/1, 964/1, 965, 966/1, 967/4, 967/8, 969/1, 2243/483 कुल किता 11 कुल रकबा 12–14 बीघा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक बैंरा को 1300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम मुख्यालय बनेडा 12.11.2016 को खुले